नगर परिषद, कुचामन सिटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KUCHAMAN CITY/FIRENOC/2025-26/54992

जारी दिनांकः 25-JUN-2025 वैधता दिनांकः 24-JUN-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः RAMESHWAR LAL

आवेदक का पताः MOLYASI SIKAR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **TAGORE SHIKSHAN SANSTHAN, 2, JUSARI ROAD, KUCHAMAN CITY, , DIDWANA-KUCHAMAN, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी
2. भवन में धुंआ निकासी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एक्सींग्युसर, एम.सी.पी. मय हुटर, फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रींकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुंचने हेतु व चारो तरफ घुमने व कार्य करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड एवं भवन एकीकृत विनियम–2020 के अनुरूप पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बालक०नी का निर्माण निषेध होगा।
5. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
6. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीनधविवादित है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा, इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के में जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्नहस्ताक्षरकर्ता से अस्थाई अनापत्ति प्रमाण अनुसार भवन जो उपकरण लगाये करवाकर पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिकधआवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. एकीकृत विनियम में वर्णित इस आशय के समस्त सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना भवन 2020 सुनिश्चित की जानी होगी।

Signed by: Devilal Bochalya
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KUCHAMAN CITY, Rajasthan
Date: 25/06/2025 18:24:19

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, कुचामन सिटी